Revision Case No – 09/2018

District – Lakhisarai

==========

Piyush Kumar

Vs.

Collector, Lakhisarai & Ors.

==========

आदेश

25/10/2018 इस वाद में दिनांक–12.10.2018 को सुनवाई की गई। सुनवाई के दौरान पुनरीक्षण वादकर्त्ता के विद्वान अधिवक्ता उपस्थित थे। यह पुनरीक्षण वाद समाहर्त्ता, लखीसराय के आदेश दिनांक–14.05.2018 के विरूद्ध दायर किया गया है। समाहर्त्ता, लखीसराय द्वारा वाद संख्या–01/18–19 में सुनवाई करते हुए ई–बिडिंग द्वारा बंदोबस्त मौजा शरमा बालूघाट की बंदोबस्ती रद्द कर दी गयी है।

आवेदनकर्त्ता का कहना है कि उनके पक्ष में शरमा बालूघाट की बंदोबस्ती रिवर्स ऑक्शन द्वारा की गई थी। इनके द्वारा पत्रांक–63, दिनांक–15.01.2018 से कार्यादेश निर्गत होने के उपरांत लीज एग्रीमेंट की शर्त्तों के अनुसार कार्य आरम्भ किया गया। आवेदक का कहना है कि दिनांक–13.04.2018 को पुलिस अधीक्षक, लखीसराय द्वारा बालूघाट पर छापेमारी करने के उपरांत बालूघाट के संचालन में कुछ अनियमिततायें पाई गयी, जिसे जिला पदाधिकारी को प्रतिवेदित किया गया, जिसके उपरांत समाहर्त्ता, लखीसराय द्वारा इनसे स्पष्टीकरण की माँग की गयी, जिसे दिनांक 23.04.2018 को समर्पित किया गया। आवेदक का कहना है कि समाहर्त्ता द्वारा उनके कारण पृच्छा पर गौर किये बिना दिनांक–14.05.2018 को आदेश पारित किया गया है एवं उनकी बंदोबस्ती रद्द कर दी गई है जो न्यायोचित नहीं है। आवेदक के विद्वान अधिवक्ता का अपने आवेदक के समर्थन में यह कहना है कि दिनांक–19.03.2018 को समाहर्त्ता, लखीसराय की अध्यक्षता में संपन्न बैठक में यह निदेश प्राप्त हुआ था कि दिनांक–15.04.2018 को धर्मकाँटा की स्थापना की जानी थी किन्तु दिनांक–13.04.2018 को ही छापेमारी की गई। वादी का यह भी कहना है कि त्रि–सदस्ययी जाँच समिति द्वारा समर्पित प्रतिवेदन उनकी उपस्थिति के बिना तैयार किया गया है एवं उसकी प्रति भी उन्हें उपलब्ध नहीं कराई गई थी। उक्त प्रतिवेदन में 3 मीटर गहराई से अधिक खनन की बात कही गई है, जबकि कोई प्रारंभिक बिन्दु ही निर्धारित नहीं किया गया था, जिसमें 3 मीटर तक ही खनन कार्य किया जा सकता था। वादी का यह कहना है कि बालूघाट पर किसी भी वाहन पर ओवर लोडिंग नहीं किया जाता है। वादी का कहना है कि आवेदन में समर्पित सभी बातें उनके द्वारा समाहर्त्ता, लखीसराय के समक्ष रखी

गई थी, किन्तु समाहर्त्ता द्वारा इस पर बिना गौर किये आदेश पारित किया गया जो नैसर्गिक न्याय के दृष्टि से उचित नहीं है एवं रद्द करने योग्य है।

खनिज विकास पदाधिकारी, लखीसराय से प्राप्त प्रतिवेदन में उल्लेखित है कि वादी द्वारा कार्यादेश के शर्त्तों एवं बंधेजों का पालन नहीं किया गया। जिला स्तरीय समिति द्वारा यह प्रतिवेदित किया गया कि शरमा बालूघाट पर 14–16 फीट गहराई तक खनन किया गया है। इसके अतिरिक्त भी तत्कालीन बंदोबस्तधारी द्वारा विभिन्न अनियमितितायें बरती गयी है। समाहर्त्ता, लखीसराय द्वारा पारित आदेश सभी तथ्यों एवं परिस्थिति पर विचार करने के उपरांत निर्गत है। अतः यह पुनरीक्षण आवेदन अस्वीकृत करने योग्य है।

विद्वान अधिवक्ता को सुना एवं अभिलेखों को देखा दिनांक 19.03.2018 को जिला पदाधिकारी, लखीसराय की अध्यक्षता में सभी नव बालू बंदोबस्तधारियों की एक बैठक आहूत की गयी थी, उक्त बैठक की कार्यवाही ज्ञापांक 236 दिनांक 27.03.2018 द्वारा ओवरलोडिंग के विषय पर चर्चा करते हुए धर्मकाँटा की स्थापना करने के साथ ही बंदोबस्ती क्षेत्र का सीमांकन पक्का पिलर से करने का निदेश दिया गया था। उक्त बैठक में दिये गये निदेश का अनुपालन नहीं होने पर खनिज विकास पदाधिकारी, लखीसराय के कार्यालय पत्रांक 251 दिनांक 03.04.2018 के माध्यम से बंदोबस्तधारियों को सूचित किया गया था, फिर भी उसका अनुपालन वादी द्वारा नहीं किया गया। अभिलेख से स्पष्ट है कि दिनांक 14.04.18 को स्थानीय थाना पुलिस के साथ संयुक्त औचक छापेमारी के क्रम में शरमा बालूघाट पर 11 ओवरलोडेड बालू लदा वाहन एवं चालक को पकड़ा गया तथा नगर थाना, लखीसराय में थाना कांड सं0–158/18 दिनांक 14.04.18 दर्ज की गयी है। उक्त बरती जा रही अनियमितता के आलोक में पुलिस अधीक्षक, लखीसराय के पत्रांक 1584/गो0 दिनांक 15.04.18 द्वारा शरमा बालूघाट की बंदोबस्ती रद्द करने की कार्रवाई का अनुरोध किया गया। पुलिस अधीक्षक, लखीसराय के उक्त पत्र के आलोक में जिला पदाधिकारी, लखीसराय द्वारा खनन पत्रांक 314 दिनांक 21.04.2018 द्वारा बंदोबस्तधारी से स्पष्टीकरण की मांग की गयी। दिनांक 23.04.2018 को बालू बंदोबस्तधारी द्वारा समर्पित की गयी स्पष्टीकरण संतोषजनक नहीं पाया गया। पुलिस अधीक्षक, लखीसराय के पत्रांक 1584/गो0, लखीसराय, दिनांक 15.04.2018 के आलोक में विभागीय पत्रांक 2004 दिनांक 07.05.18 के द्वारा प्राप्त निदेश के आलोक में जिला पदाधिकारी के ज्ञापांक 394 दिनांक 10.05.18 द्वारा अनुमंडल पदाधिकारी, लखीसराय की अध्यक्षता में अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी, लखीसराय एवं खनिज विकास पदाधिकारी, लखीसराय के साथ त्रिसदस्यीय टीम का गठन शरमा बालूघाट खनन क्षेत्र की स्थलीय जाँच कराने के लिए की गयी। त्रिसदस्यीय टीम द्वारा स्थलीय जाँच में प्रतिवेदित किया गया कि उक्त बालूघाट के बंदोबस्तधारी द्वारा नीलामी एवं खनन योजना के शर्त्तों का अनुपालन नहीं किया गया। नीलामी में निहित शर्त के अनुसार बालू खनन की अनुमान्य अधिकतम गहराई 3 मीटर (9.84 फीट) के जगह लगभग सभी खादानों में स्थल जाँच के दौरान 14 से 16 फीट

तक बालू खनन किया हुआ पाया गया। त्रिसदस्यीय टीम के द्वारा यह भी प्रतिवेदित किया गया कि मानक से अधिक खनन करने से पर्यावरण को नुकसान पहुँचा है तथा ओवरलोडिंग से सरकारी राजस्व की भी क्षति हुई है। जाँच टीम द्वारा साक्ष्य के रूप में उक्त खनन क्षेत्र का विडियोग्राफी/फोटोग्राफी भी प्रस्तुत किया गया है। स्पष्ट है कि बंदोबस्तधारी के द्वारा बालू के नीलामी से संबंधित शर्त्तों का उल्लंघन किया गया है। दिनांक 14.04.18 को स्थानीय पुलिस के साथ संयुक्त रूप से की गयी छापेमारी के दौरान ओवरलोडेड पकड़े गये वाहन एवं मानक से अधिक खनन से सरकारी राजस्व की क्षति एवं पर्यावरण का नुकसान को प्रमाणित करता है।

अतः समाहर्त्ता, लखीसराय द्वारा दिनांक 14.05.2018 को पारित आदेश जो नियमाकुल है, को बरकरार रखते हुए यह पुनरीक्षण आवेदन अस्वीकृत किया जाता है।

आदेश की प्रति सभी संबंधित को भेज दी जाय।

लेखापित एवं संशोधित।

ह0/–
(अंशुली आर्या)
खान आयुक्त, बिहार।

ह0/–
(अंशुली आर्या)
खान आयुक्त, बिहार।

ज्ञापांकः–4085/एम0, पटना, दिनांक 26/10/18

प्रतिलिपिः–समाहर्त्ता, लखीसराय/खनिज विकास पदाधिकारी, जिला खनन कार्यालय, लखीसराय/पीयूष कुमार, पिता–कुमोद कुमार सिंह, पता–वार्ड नं0–15, बिहट, थाना–बरौनी, जिला–बेगूसराय/आई0टी0 मैनेजर, खान एवं भूतत्व विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के अवर सचिव